

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1976/पौष 26, 1897
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1976/PAUSA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th January, 1976

SUBJECT.—Export of cotton yarn from India.

No. 5-ETC(PN)/76.—In supersession of Public Notice No. 4-ETC(PN)/75 dated the 13th February, 1975 laying down the export policy of cotton yarn, during January—December, 1975, it has been decided to continue exports of all types of cotton yarn from 1st January, 1976 to all destinations for shipment upto 31st December, 1976.

2. Exports of cotton yarn shall continue to be under O.G.L. 3 issued under the Exports (Control) Order, 1968. All contracts for export of cotton yarn shall be required to be registered with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. Shipments of cotton yarn will be allowed by the Council only against such registered contracts. Authorisation for shipment will be endorsed on the shipping bills.

3. In respect of shipment to U.K., U.S.A. and Austria the exporters shall prepare as extra copy of shipping bill. Prior to submitting the shipping documents to the Customs Authorities, the exporters shall send the shipping documents to the authorised representative of the Texprocil for purpose of quota endorsement and the extra copy of shipping bill shall be retained by the Texprocil representatives.

4. In respect of exports to Burma, Libya, Bangladesh, Ceylon and U.A.P. or any other country which may be included later, the business will be negotiated by the Cotton

Textiles Export Promotion Council or with the approval of the said Council. The Council may also fix minimum prices for export of cotton yarn to certain destinations in which case, the authorisation of shipping bills will be subject to the stipulated prices.

5. A non-refundable charge of 2/- per 100 kg. subject to a minimum of Rs. 2/- will be charged by the Cotton Textiles Export Promotion Council for issue of authorisation.

6. The shippers are required to submit to the Cotton Textiles Export Promotion Council by 10th of every month the details of the shipments effected by them.

7. Any other terms and conditions laid down by the Cotton Textiles Export Promotion Council from time to time shall also apply.

8. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay is as follows:—

"ENGINEERING CENTRE", 5th floor, 9, Mathew Road, Bombay.

D. D. JOSHI,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1976

विषय.—भारत से सूती धागे का निर्यात।

संख्या 5-ई टी सी (पी एन)/76.—सार्वजनिक सूचना संख्या : 4-ई टी सी (पी एन)/75, दिनांक 13-2-1975 के अধिक्रमण में जिसमें जनवरी-दिसम्बर, 1975 के दौरान सूती धागों के लिए निर्यात नोति निर्धारित की गई है, यह निश्चय किया गया है कि 1-1-1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक पोतलदानों के लिए सभी गन्तव्य के लिए सूती धागों की सभी किस्मों के निर्यात की स्वीकृति दी जाती रहे।

2. सूती धागों के निर्यात, निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के अन्तर्गत जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 के अन्तर्गत जारी रहेंगे। सूती धागों के निर्यात के लिए सभी संविदाओं का सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के पास पंजीकृत किया जाना आवश्यक होगा। केवल ऐसी पंजीकृत संविदाओं के मद्दे ही परिषद् द्वारा सूती धागों के पोतलदानों के लिए स्वीकृति दी जाएगी। पोतलदान के लिए प्राधिकरण, पोतलदान बिल पर पृष्ठांकित कर दिए जाएंगे।

3. यू० के० संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रिया के पोतलदान के मामले में निर्यातक पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति तैयार करेंगे। निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों को पोतलदान दस्तावेज प्रस्तुत करने से पूर्व, निर्यातक कोटा पृष्ठांकन करने के प्रयोजनार्थ पोतलदान दस्तावेज टेक्सप्रोसिल के प्राधिकृत प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे और पोतलदान की अतिरिक्त प्रति टेक्सप्रोसिल के प्रतिनिधियों द्वारा रखली जाएगी।

4. बर्मा, लीबिया, बांगलादेश, श्रीलंका एवं संयुक्त अरब गणराज्य अथवा अन्य कोई भी देश जिसे बाद में शामिल किया जाए, उनके मामले में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अनुमोदन द्वारा सौदा तय किया जाएगा। परिषद् कुछ गन्तव्य स्थानों के लिए सूती धागों के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य भी नियत कर सकती है और इस मामले में पोतलदान बिल का प्राधिकरण निर्धारित मूल्य के अधीन होगा।

5. प्राधिकरण जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रत्येक 100 किलो पर 2/— रुपये का एक अदेय शुल्क वसूला जाएगा जो न्यूनतम 2/— रुपये के अधीन होगा।

6. पोतवणिकों से अनुरोध है कि उनके द्वारा किए गए पोतलदानों के व्यौरे प्रत्येक मास की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को प्रस्तुत करें।

7. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

8. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई का पता इस प्रकार होगा :—

“इंजीनियरिंग सेण्टर”,

पांचवीं मंजिल,

9, मैथ्यू रोड,

बम्बई-4 ।

डी० डी० जोशी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

